

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/पैरा मेडि/सेवा.नि./को.अ.भ.उ/2026/42

दिनांक : 18.03.2026

संशोधन आदेश

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर विभिन्न आदेशों द्वारा से.नि.तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	निदेशालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक/दिनांक	वांछित शुद्धिकरण
1	श्री नरेन्द्र कुमार गौतम तकनीकी सहायक	20 दिनांक 27.01.2026	कार्मिक के नाम में संशोधन कर श्री नरेन्द्र गौतम के स्थान पर श्री नरेन्द्र कुमार गौतम पढा जावे ।

नोट:-उक्त आदेश का शेष यथावत् ।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 18.03.2026

क्रमांक :- ई-33/पैरा मेडि/सेवा.नि./को.अ.भ.उ/2026/42

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
- 2 संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
- 3 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 4 श्री नरेन्द्र कुमार गौतम, तकनीकी सहायक को द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा सूचनार्थ।
- 5 प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी अनुभाग मुख्यालय, जयपुर-राज0।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि आडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma

Designation : Director

Date: 2026.03.17 16:50:56 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21062828

